अत्यंत महत्वपूर्ण

संख्या– 1524/26–3–2010–4(41)/2006

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 28 मई, 2010

विषयः–अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जिन्हें भू–अधिकार पत्र (टाइटिल) दिये गये हैं, उनके विकास के संबंध में योजनायें संचालित किये जाने विषयक ।

महोदय,

आप अवगत हैं कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र दावेदारों को भू–अधिकार पत्र (टाइटिल) वितरित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है और यह कार्य शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में है।

2– उक्त के संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत अधिनियम के अंतर्गत जिन अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों के पक्ष में दावे स्वीकृत हुए हैं तथा जिन्हें भूमि का अधिकार प्रदान किया गया है, उनके भूमि के विकास के संबंध में तथा उनके समग्र विकास हेतु समेकित प्रयास करते हुए सभी विभागों की योजनाओं का पूर्ण लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या– 1524 (1)/26–3–2010 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपर्युक्त कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष।
5. निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

S MOURYAG.0